

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2364]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 20, 2014/कार्तिक 29, 1936

No.2364]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 20, 2014/KARTIKA 29, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2944(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 2915(अ), दिनांक 13 नवम्बर, 2014, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग-II खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 13 नवम्बर, 2014 को प्रकाशित किया गया था, की अनुसूची-II में—

- (i) कॉलम (4) में, मद (v) से "मुम्बई-2" के स्थान पर "मुम्बई-4" पढ़ें।
- (ii) कॉलम (4) में, मद (vii) से "मुम्बई-4" के स्थान पर "मुम्बई-2" पढ़ें।

[अधिसूचना संख्या 72 /2014/फा. सं.187/37/2014(आईटीए.1)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक